(208)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१८ निगरानी

II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/0614

मुन्नालाल पुत्र रामबाबू शर्मा, निवासी-ग्राम-गिजुरी, तहसील मेहगांव जिला भिण्ड-म०प्र० ।

--------- प्रार्थी

श्री एस० के० चतुर्वेदी, अभि० द्वारा आज दि० 22-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-2-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 22/1/18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुध्द

१- सुरेश पुत्र रामशरण,

२- सूरजमुखी बेवा रामशरण,

निवासीगण ग्राम बरोही हाल निवासी शास्त्री नगर, बी-ब्लाक, भारतीय स्कूल के पास भिण्ड-म०प्र० ।

३- सुरेन्द्र पुत्र सिरोमण, निवासी ग्राम बरोही हाल वनखण्डेश्वर मन्दिर के पास, भिण्ड, तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

४- आशाराम पुत्र गंगादीन, निवासी ग्राम बरोही, हाल बरोही की तिवारिया थाने के पास, तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय, भिण्ड दिनांकी १८-०८-१७, अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ७८/१५-१६- निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय एंव अपर कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/614

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	